कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक / मा.चि. / 06 / 2022 / 1342 सागर, दिनांक 20-5-22

प्रति,

SCO,
Jio Digitsal Private Ltd,
3rd Floor, DB Mall Zone-1
M.P. Nagar Bhopal.

विषय :- Permission to lay optical fiber cable on LM Barpani Total section length ROW applied for 4.00 Kms (0.2 Hac.)

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/विविध/2022/10-11/1687 दिनांक 11.05.2022 एवं पत्र क्रमांक/1744 दिनांक 18.05.2022

2. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त, सागर का पत्र क्रमांक/मा.चि./FCA-OFC/2022/1989 दिनांक 13.05.2022

3. आपका आवेदन दिनांक 17.06.2021 प्राप्त दिनांक 22.12.2021 ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/OFC/148849/2021

4. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./580 दिनांक 21.03.2022

5. वन परिक्षेत्र अधिकारी, गढ़ाकोटा का पत्र क्रमांक/163 दिनांक 08.03.2022

6. उप वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर का पत्र क्रमांक/636 दिनांक 10.03.2022

--"--

उपरोक्त विषयांतर्गत ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/OFC/148849/2021 में आवेदित वन भूमि रकवा **0.1** हेक्टेयर के संयुक्त मौका स्थल निरीक्षण उपरांत भाग–II की पूर्ति उपरांत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर को इस कार्यालय के संदर्भ कमांक–4 से प्रेषित किये गये। प्रेषित किये गये प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र कमांक / एफ–5 / विविध / 2022 / 10–11 / 1687 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर के संदर्भ कमांक–2 से सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देश इस कार्यालय को प्राप्त हुए है। अतः जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रस्ताव में आवेदित / सीमांकित वन भूमि रकवा **0.1** हेक्टेयर मार्ग के किनारे–किनारे ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने की **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित अधिरोपित शर्तो के अधीन सशर्त प्रदान की जाती है :–

1) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

2) प्रस्ताव में आवेदित वनभूमि का वन कक्षबार सीमांकित / चिन्हांकित रकवा **0.1** हेक्टेयर का उपयोग **ओ. एफ.सी. केबल लाईन बिछाने** हेतु किया जावेगा। सीमांकित वनभूमि का विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	परिक्षेत्र	वनखण्ड	कक्ष कमांक	रकवा (हे.में)	लम्बाई (किलो मीटर में)	औसत चौडाई (मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	गढ़ाकोटा	बरपानी दक्षिण	PF-859	0.1	2.4	0.5

3) **ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने** हेतु आवेदित/सीमांकित वनभूमि रकवा **0.1** हेक्टेयर की भविष्य में वर्तमान प्रचलित दरों के अंतर्गत नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि वन विभाग में जमा करने हेतु SCO, Jio Digitsal Private Ltd, 3rd Floor, DB Mall Zone-1 M.P. Nagar Bhopal वचनबद्ध रहेगा।

4) आवेदित वन भूमि में **ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने** हेतु खोदी गई नाली को प्रत्येक 100 मीटर पर कार्य करने के उपरांत समतल किया जावेगा तत्पश्चात् अगले Chanage पर कार्य किया जावेगा। वनभूमि से गुजर रहे मार्ग के किनारे–किनारे **ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाई** जावेगी।

5) आवेदित वनभूमि व उसके समीप अन्य किसी भी वनभूमि से निर्माण कार्य हेतु मिट्टी, गिट्टी, मुरूम, बोल्डर, पत्थर आदि का उत्खनन नहीं किया जावेगा।

6) व्यपवर्तित वनभूमि तथा उसके चारों ओर क्षेत्र में वन्य पशु/वृक्षों को होने वाले नुकसान के लिये आवेदनकर्ता विभाग जिम्मेदार रहेगें तथा उनको संरक्षित करने के लिये आवेदित विभाग द्वारा आवश्यक उपाय किये जावेगें।

7) किसी भी वृक्ष को काटा/छांटा नहीं जावेगा, और न ही कोई क्षति पहुंचाई जावेगी। साथ ही वनक्षेत्र को कहीं भी तोड़ा नहीं जावेगा।

8) सूर्यास्त पश्चात् वनक्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा।

9) वन भूमि पर श्रमिक केंप नहीं लगाये जावेगें, न हीं वनक्षेत्र की वनसम्पदा को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचायेगें।

10) वन्य प्राणियों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी तथा विद्युत लाईन से बचाव हेतु सुनियोजित उपाय किये जावेगें।

11) **ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने** के कारण यदि वन क्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी परियोजना लागत पर ऐसे नुकसान की भरपाई वन विभाग को करेगी।

12) आवेदित वनभूमि के समीप में लगी वनभूमि पर किसी भी प्रकार का ओवर वर्डन की डंपिंग नहीं की जावेगी।

13) वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य **ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने** के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु वन भूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा।

14) वन क्षेत्र के अंदर मशीन के स्थान पर मजदूरों से कार्य कराया जावेगा।

15) आवेदक/आवेदक विभाग या निर्माणकर्ता एजेन्सी के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है या किसी भी शर्त का उल्लंघन होना पाया जाता है तो जारी स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जावे।

16) प्रस्ताव में भारत सरकार/म.प्र. शासन वन विभाग/प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर के द्वारा भविष्य में उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते अधिरोपित की जाती है तो वह प्रयोक्ता/आवेदक विभाग को मान्य होगी।

प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि की उपरोक्त अधिरोपित शर्तो के अंतर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जा रही है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का Tabuler Form में पालन प्रतिवेदन एवं आवश्यक लिखित वचन–पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ को अवगत कराया जा सकें।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

पृ.कमांक / मा.चि. / 06 / 2022 / 1343 **सागर, दिनांक** 20-5-22
प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.) की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप वनमण्डल अधिकारी, **दक्षिण सागर** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वन परिक्षेत्र अधिकारी, **गढ़ाकोटा** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि औपचारिक स्वीकृति के पूर्व वनभूमि में कोई भी कार्य न हो यह सुनिश्चित करें।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

19/05/2022